

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के निमित्त आवेदन-पत्र

प्रपत्र-1

जिला- गढ़वा, अनुमंडल प्रखण्ड.....

१. आवेदक/आवेदिका का नाम.....
२. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम.....
३. आवेदक का पूरा पता : ग्राम..... पो०..... पंचायत.....
थाना..... जिला-.....
४. कोटि/अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य/महिला/विकलांग/भूमिहीन :.....
५. आवेदक का पहचान चिन्ह: क)
ख)
६. मृत व्यक्ति का नाम और मृत्यु के तिथि को उम्र:
७. मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है या दुर्घटना से:
८. मृत्यु की तिथि और स्थान का नाम जहाँ मृत्यु हुई :
९. मृतक व्यक्ति के साथ आवेदक का सम्बन्ध.....
१०. मृत व्यक्तियों के आश्रितों के नाम एवं सम्बंध :.....

नाम	उम्र	सम्बन्ध
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		

११. घोषणा : मैं घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (१) मृतक, स्व० परिवार के मुख्य जिविकोपार्जक थे।
- (२) मेरी पारिवारिक आय सभी स्रोतों से रु० वार्षिक से अधिक नहीं है।
- (३) मैं जिला राज्य का स्थायी/अस्थायी निवासी हूँ
और आवेदन देने की तिथि से ठीक तीन वर्ष पूर्व से उक्त स्थान पर रह रहा/रही हूँ।

(४) उपर्युक्त विवरणी मेरी जानकारी और विश्वास से सही है।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

अंगूठे का निशान

कृ० पृ० उ०

जाँच-पत्र

जाँचा और पाया कि :-

- (१) मृतक , स्व०की उम्र वर्ष थी। उनकी मृत्यु दिनांकको प्राकृतिक कारणों से /दुर्घटना से हुई जिसकी शिनाख्त थाना में हुआ है/हुई है।
- (२) मृतक परिवार के मुख्य जिविकोपार्जक थे/नहीं थे।
- (३) आवेदक/आवेदिका मृत व्यक्ति का सही उत्तराधिकारी है/नहीं है।
- (४) आवेदक/आवेदिका का पारिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहा है/नहीं कर रहा है। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी श्रोतों से है।

पंचायत सेवक/नगरपालिका कमिशनर

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

स्वीकृति का विवरण:-

स्वीकृत/अस्वीकृत

अस्वीकृत संख्या:-

तिथि :-

रुपये